Order Sheet [Contd]

पुनश्च–

अभियोजन/सी.बी.आई. की ओर से श्री मनोज कुमार लोक अभियोजक उपस्थित।

खात्मा साक्षी यश दिशावल उपस्थित के कथन लिये जाकर मुक्त किया गया।

साक्षी नेहा केम को समंस से तलब हो।

प्रकरण खात्मा कथन हेतु **पेशी 10.06.2025** को पेश हो।

(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई.
एवं आर्थिक अपराध इन्दौर

10.06.2025

अभियोजन/सी.बी.आई. की ओर से श्री मनोज कुमार लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण खात्मा कथन हेतु नियत है।

साक्षीगण अनुपस्थित।

साक्षी नेहा केम को जारी समंस इस टीप के साथ प्राप्त कि समंसी दिये पते पर ताला लगा पाया गया। आसपास पता किया तो बताया कि बाहर गये है। फान नम्बर अप्राप्त। अतः लोक अभियोजक ने आगामी पेशी दिये जाने का निवेदन किया, बाद विचार समय दिया गया।

आगामी पेशी पर साक्षी नेहा केम को आवश्यक रूप से समंस से तलब हो।

प्रकरण खात्मा कथन हेतु **पेशी 10.07.2025** को पेश हो।

(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई.
एवं आर्थिक अपराध इन्दौर

(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई. एवं
आर्थिक अपराध, इन्दौर (म.प्र.)

10.07.2025

अभियोजन/सी.बी.आई. की ओर से श्री मनोज कुमार लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण खात्मा कथन हेतु नियत है।

साक्षीगण अनुपस्थित।

साक्षी नेहा केम को जारी समंस इस टीप के साथ प्राप्त कि समंसी दिये पते पर ताला लगा मिला, 2–3 साल से घर बन्द है आस–पड़ोस के लोगो के द्वारा बताया गया और कहां रहते है ऐसा नही पता है ना ही बात होती है की टीप के साथ अदम तामील प्राप्त।

प्रकरण खात्मा आवेदन पर विचार हेतु **पेशी 14.07.2025** को पेश हो।

(जय कुमार जैन)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई.
एवं आर्थिक अपराध इन्दौर

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई. एवं
आर्थिक अपराध, इन्दौर (म.प्र.)

14.07.2025

सी0बी0आई0 द्वारा लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार।

प्रकरण खात्मा प्रतिवेदन पर विचार हेतु नियत है।

खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में अभियोजन को सुना गया।

खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एसी–5 भोपाल मध्यप्रदेश को यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका सिविल क्रमांक 372/2015 के साथ संलग्न विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 09.04.2015 एवं रिट याचिका सिविल क्रमांक 417/2015 दिग्विजय सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 एवं अन्य में दिए गए निर्देशानुसार मृतक का संबंध व्यापम के केसों से होने के कारण विवेचना हेतु प्रदान किया गया था। जिसके आधार पर सी0बी0आई0 के द्वारा आरक्षी केन्द्र कायथा जिला उज्जैन के अपराध क्रमांक 8/2012 दिनांक 30.01.2012 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 मृतक नम्रता डामोर के संबंध में अपराध क्रमांक आरसी 2172015एस0010 दिनांक 16.07.2015 को पंजीबद्ध किया गया था। सी0बी0आई0 के द्वारा पूर्व में भी विवेचना पूर्ण करने के उपरांत क्लोजर रिपोर्ट इस न्यायालय के पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत की गई थी। जिसमें मृतिका की

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मृत्यु के कारण को दृष्टिगत रखते हुए क्लोज रिपोर्ट पुनः उचित एवं पारदर्शी अनुसंधान पूर्ण करने हेतु वापस कर दी गई थी। यह खात्मा प्रतिवेदन सी0बी0आई0 के द्वारा पुनः इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सर्वप्रथम विवेचना कार्यालय पुलिस थाना कायथा उज्जैन के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें दिनांक 19.12.2014 को पुलिस थाना कायथा के थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन को यह प्रतिवेदन प्रेषित किया था कि दिनांक 07.01.2012 को राम सागर स्टेशन मास्टर तराना रोड द्वारा अपलाइन पर लाश पड़ी होने की सूचना थाना कायथा पर दी गई थी। थाना कायथा पर मर्ग क्रमांक 1/12 दर्ज कर जांच की गई। अज्ञात महिला मृतिका की पहचान पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगाए गए पंपलेट के आधार पर नम्रता पिता मेहताब सिंह निवासी मेघनगर मेडिकल स्टूडेंट एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज इंदौर के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 8/2012 अंतर्गत धारा 302 भा0द0स0 दर्ज कर विवेचना की गई। अनुसंधान के दौरान नम्रता के साथ ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े धक्का मुक्की आदि की घटना होना नहीं पाई गई। अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि नम्रता डामोर वर्ष 2010 की पी0एम0टी0 की परीक्षा से चयनित होकर प्रथमतः ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत थी। इंदौर मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित हुई थी। कॉलेज अध्ययन के दौरान उसकी मित्रता विशाल वर्मा से हुई थी। स्कूली शिक्षा के समय उसकी मित्रता देव सिसोदिया से निवासी झाबुआ से हुई थी। उक्त दोनों से उसके अंतरण संबंध भी थे। नम्रता का ध्यान पढाई में न होकर लड़कों से मित्रता आदि होने से घर वाले उससे नाराज थे। नम्रता को कई बार मना करने पर उसके परिजनों द्वारा लड़कों से संबंध रखने पर डांट फटकार लगाई गई थी। दिनांक 05.01.2012 को मृतिका नम्रता के भाई ओमप्रकाश ने देव सिसोदिया के साथ संपर्क करते हुए देख लिया था जिसके कारण परिवार वाले उससे बेहद नाराज थे। उसको दी गई मोबाइल व स्कूटी वापस ले ली गई थी इसी अवसाद व तनाव में नम्रता होस्टल छोड़कर घटना दिनांक को जबलपुर जा रही थी। ट्रेन में सफर करते समय नम्रता के पास कोई सामान नहीं था उसे भय था कि कहीं सड़क के रास्ते से आकर उसके परिजन उसे पकड़कर वापस न ले जाए, क्योंकि देव सिसोदिया ने उसके पिता को यह बता दिया था कि वह ट्रेन से जबलपुर जा रही थी। परिजन द्वारा जिन संदेहियों देव सिसोदिया, विशाल वर्मा, यश दिसावल एवं आलेख दवे पर संदेह व्यक्त किया गया था उनकी घटना दिनांक को घटना के दौरान मोबाइल फोन	

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	की लोकेशन के आधार पर क्रमशः मेघनगर, झाबुआ, राजपुर–बड़वानी, होशंगाबाद, इंदौर में होना पाई गई। ट्रेन में किसी अन्य व्यक्ति का होना भी नहीं पाया गया। नम्रता घर वालों की नाराजगी, अपने मित्र विशाल की अन्यत्र सगाई होने आदि बातों को लेकर परेशान थी व इसी अवसाद की परिस्थिति विशेष में उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बदन पर आयी चोटों से भी इसकी पुष्टि होती है। प्रकरण में नम्रता की हत्या आदि के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में नम्रता का कृत्य आत्महत्या का होना पाया गया। आरक्षी केन्द्र कायथा के अपराध क्रमांक 8/2012 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की केस डायरी में विभिन्न विवेचनाधिकारियों द्वारा की गई प्रविष्टियों के अवलोक से दर्शित है कि उनके द्वारा नम्रता डामोर की मृत्यु के कारण और संदेही व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए। आरक्षी केन्द्र कायथा जिला उज्जैन की समीक्षा मानव अधिकार आयोग भोपाल, एस0टी0एफ0 भोपाल, एस0आई0टी0 भोपाल द्व ारा भी की गई है जिनके अनुसंधान का सारांश में दिनांक 19.12.2014 को पुलिस थाना कायथा के थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन को प्रेषित किए गए रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। अर्थात् कोई साक्ष्य न मिलने के उपरांत मामला जांच हेतु सी0बी0आई0 को प्राप्त हुआ है। जिसके दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो व्यापम भोपाल के विवेचनाधिकारियों द्वारा लगभग 72 साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना को विभिन्न एंगलों से जांच कर संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल डायरेक्टर प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग एवं डॉ0 एस0के खन्ना एवं डॉ0 एन0के0 अग्रवाल से भी अभिमत लिया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि सी0बी0आई0 के द्वारा कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल मैसेज, का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के उपरांत भी नम्रता डामोर की हत्या करने के संबंध में कोई हेतुक दर्शित नहीं हुआ है। मृतक का रेप किए जाने की भी परिस्थिति भी दर्शित नहीं हुई है। नम्रता डामोर घ टना दिनांक को अपने दोनों मित्रों से फोन पर लगातार बात करती रही है और उक्त दोनों मित्रों के फोन की लोकेशन घटनास्थल के आसपास नहीं पाई गई है। ऐसी कोई संभावना भी दर्शित नहीं हुई है कि मृतक नम्रता डामोर को घटनास्थल से ट्रेन से उतारकर उस पर हमला किया होगा और फिर उसे घटनास्थल पर फेंका होगा। मृत्यु के समय जिला अस्पताल उज्जैन में की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनियमिताएं पाई गई थीं जिसे पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा एवं नाखूनों को संरक्षित नहीं रखा गया है, मृतक का एक्सरे नहीं	

Date of order or Proceeding	Order or Procceding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	लिया गया है, मृतक के शरीर की सभी चोटों को दर्शित भी नहीं किया गया है, ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं जिससे यह दर्शित हो सके मृतक नम्रता डामोर के साथ मारपीट की गई हो, उसका गला दबाया गया हो, मृतक नम्रता डामोर का नाम व्यापम केस के संदेही के रूप में वर्ष 2010 की पी0एम0टी0 परीक्षा में अवैधानिक साधनों का उपयोग करने के संबंध में वर्ष 2014 को घोषित किया गया था जबकि मृतक नम्रता डामोर के द्वारा वर्ष 2012 में की गई है जिसके कारण वर्ष 2010 की पी0एम0टी0 परीक्षा का परिणाम निरस्त घोषित किए जाने के कारण भी नम्रता डामोर द्वारा आत्महत्या किया जाना दर्शित नहीं है। ट्रेन में कोई घ ाटना घटित होने के संबंध में भी कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं पाया गया है। व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के नियंत्रक द्वारा एसी0पी0 सी0बीआई0 भोपाल मध्यप्रदेश को दिनांक 21.08.2015 को यह अवगत कराया गया है कि मण्डल के द्वारा आदेश कमांक व्यापम/5–प–1/2810/2014 दिनांक 06.05.2014 के द्वारा 90 अभ्यार्थियों के प्रकरणों को यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था। इस आदेश में संलग्न परिशिष्टि में नम्रता डामोर भी सम्मिति थी। व्यापम के उक्त आदेश के अवलोकन से यह दर्शित है कि विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संदिग्ध अभ्यर्थियों को समूह में नकल कराए जाने के उद्देश्य से मूल आवंटित नंबर को परिवर्तित कर आगे पीछे बैठाया गया था, जिससे आगे एवं पीछे बैठे अभ्यार्थियों को नकल करवाई गई थी। उक्त समस्त परिस्थितियों की पुष्टि होने के उपरांत कुल 90 अभ्यर्थियों को यू0एफ0एम0 मान्य कर उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था। सी0बी0आई0 द्वारा मृतक नम्रता डामोर की मृत्यु को व्यापम घोटाले से इस कारण नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि मृतक नम्रता डामोर के द्वारा आत्महत्या वर्ष 2012 में की गई थी, जबकि मृतक नम्रता डामोर एवं अन्य व्यक्तियों के परीक्षा परिणाम को वर्ष 2014 में निरस्त किया गया है। अभिलेख पर अन्य किसी साक्ष्य के आभाव में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से सही प्रतीत होता है। खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा करण सिंह राणा एससीपी सी0बी0आई0 भोपाल विवेचनाधिकारी, मेहताब सिंह डामोर मृतक का पिता, अंकिता शर्मा, देव सिसोदिया, प्रिया तिवारी, श्रद्धा गुप्ता, डॉ0 स्वाती, राजेन्द्र शर्मा, यश दिसावल के कथन अंकित किए गए हैं, जिनके कथनों के अवलोकन से भी ऐसी कोई परिस्थितियां दर्शित नहीं हुई हैं जो यह दर्शित करती हों कि मृतका नम्रता डामोर की मृत्यु के पूर्व उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट की गई थी अथवा उसकी मृत्यु व्यापम घोटाले से जुड़ी	

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	होने के कारण कारित हुई है। अतः सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत किए गए खात्मा प्रतिवेदन में अन्य ऐसी कोई परिस्थितियां दर्शित नहीं होती है, जिनके संबंध में पुनः अन्वेषण किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने की आवश्यकता दर्शित होती हो। ऐसी स्थिति में सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। आदेश पत्रिका की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वापस की जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए। 14/07/2025 जय कुमार जैन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी. आई. एवं आर्थिक अपराध इंदौर (म0प्र0) (जय कुमार जैन) विशेष न्यायिक मजिस्टेट, सी.बी.आई. एव आर्थिक अपराध, इन्दौर (म.प्र.)	